Philosophy B.A. Part-II (H) Paper-III

BY- R.N. Sharma
J.M.S. College

Theories of punishment (दंड के सिद्धान्त)

नीतिशास्त्र को चरित्र की अच्छाई-बुराई का विज्ञान कहते हैं। चरित्र और आचरण (conduct) दोनो नैतिक दृष्टिकोण से समान महत्व रखते हैं। चरित्र और आचरण में अविच्छेद्य संबंध है। चरित्र का निर्माण आचरण से होता है। अतः चरित्र आचरण का अदृश्य पहलू है और आचरण चरित्र का दृश्य पहलू। आचरण या व्यवहार में मनुष्य के विवेक और आदर्श काम करते हैं जबकि चरित्र को व्यक्ति अपनी ऐच्छिक क्रियाओं द्वारा बनाता है। अतः चरित्र मन की स्थायी प्रवृत्ति है, जिसकी उत्पत्ति संकल्पजन्य आदतों से होती है। Novalis के अनुसार 'चरित्र पूर्णरूप से निर्मित संकल्प है (Character is a completely fashioned will.) दंड के सिद्धान्त पर विचार करने के पूर्व आचरण और चरित्र पर विचार करना अपेक्षित था। मनुष्य जैसा कर्म (अच्छा या बुरा) करता है उसके अनुसार वैसा ही संस्कार बनता है। संस्कार के अनुसार चरित्र का निर्माण होता है। अर्थात जो मनुष्य बुरा आचरण करता है, उससे उसका बुरा चरित्र निर्मित होता है। यह मनुष्य का दुर्गुण है। उसी तरह यदि वह अच्छा आचरण करता है तो उससे अच्छा चरित्र का निर्माण होता है, यह मनुष्य का सद्गुण है। विचार के जगत में मनुष्य जब बुरा काम करने के लिए सोचता है तो वह पाप है। लेकिन जैसे ही बुरे विचार को आचरण में कर दिखलाता है, तो वह काम अपराध बन जाता है। पाप की सजा ईश्वर देते हैं और अपराध की सजा समाज और सरकार देती है। अपराध के लिए दंड या सजा नहीं होती तो दुनिया में अधिकांश आदमी अपराधी बन जाता, जो नैतिकता के लिए घातक होता।

जिस प्रकार मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसे डाक्टर की चिकित्सा चाहिए, उसे दवा चाहिए। बीमारी हमारे स्वास्थ्य का कलंक है। वह कलंक औषधि से ही दूर हो सकता है। जैसा रोग वैसी दवा मिलती है। साधारण रोग के लिए साधारण दवा और जटिल रोग के लिए जटिल दवा चाहिए, तभी रोगी व्यक्ति निरोग हो सकता है। ठीक उसी तरह अपराध के लिए भी दंड आवश्यक है। अपराधी व्यक्ति समाज और देश का कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए दवा रूपी दंड मिलना अति आवश्यक है, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इस दंड से दंडित व्यक्ति भी समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसलिए नीतिशास्त्र में दंड का प्रमुख स्थान है। दंड के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं–

1. प्रतिबन्धात्मक दंड का सिद्धान्त (Preventive or Deterrent or Exemplary Theory of Punishment)
2. सुधारात्मक दंड का सिद्धान्त (Reformative or Educative theory of punishment)
3. प्रतिशोधात्मक या प्रतिकारवाद दंड का सिद्धान्त (Retributive theory of punishment)

Scanned with CamScanner

1. **प्रतिबन्धात्मक दंड का सिद्धान्त** — हर क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक दंड के सिद्धान्त को सही माना जाता था। इसके अनुसार दंड इतना कठोर दिया जाय, सजा इतनी कठोर दी जाय कि अपराधी उदाहरण बन जाय। उसकी लाश नमूना बन जाय ताकि अन्य व्यक्ति इस तरह की अपराध को दुहराने की कोशिश न करे। पुराने जमाने में चोरी के लिए दोनों हाथ काट दिया जाना, ऐसी कड़ी सजा दी जाती थी। मुगलकालीन भारत में अपराधी को इतनी कड़ी सजा दी जाती थी - जैसे जिन्दा जलवा दिया जाना, दीवार में व्यक्ति को खड़ा कर कांटी ठोकवा दिया जाना। अंग्रेजों के जमाने में छोटे अपराध के लिए भी बीच चौराहे पर ही गोली से उड़वा दिया जाना। सड़क के किनारे वृक्ष पर फाँसी दिया जाना - ऐसी कड़ी सजा होती थी और ये सजा जनता को दिखलाकर दिया जाता था कि वे डर से कांप जाय, भय से त्रस्त हो जाय और अपराधी के छटपटाते लाश को देखकर भयभीत हो सके। जिससे अपराधी उस तरह की अपराध को फिर दुहराने की हिम्मत न करे। प्रतिबन्धात्मक दंड के सिद्धान्त में चाहे किसी तरह का अपराध हो - छोटा या बड़ा, सजा उतनी ही कठोर मिलती थी। अपराधी को उदाहरण बना दिया जाता था। इंगलैंड में किसी ने गाय चुरा ली। न्यायाधीश ने फैसला देते हुए बतलाया कि तुम्हें कड़ी सजा दी जा रही है - गाय चुराने के लिए नहीं, बल्कि फिर गाय न चुरायी जाय, इसके लिए कड़ी सजा दी जा रही है। इस तरह प्रतिबन्धात्मक दंड सिद्धान्त को एक कठोर दण्ड का सिद्धान्त कहा जाता है।

<u>आलोचनाएँ</u> — इस दण्ड के सिद्धान्त में हम देखते हैं कि अपराधी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। न उसमें डरने की बात रह जाती है और न सुधरने की। इसीलिए ऐसा दंड का सिद्धान्त सही दंड का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता।

पुनः इस सिद्धान्त में हम देखते हैं कि केवल शासन की व्यवस्था को देखा जाता, अपराधी व्यक्ति को नहीं देखा जाता। लेकिन जिस दंड के सिद्धान्त में अपराधी को नहीं देखा जाय, उसमें सुधार की बात न सोची जाय, वह दंड का सिद्धान्त सही सिद्धान्त नहीं हो सकता।

इस तरह इस दंड के सिद्धान्त में हम देखते हैं कि बाकी जनता भय से कांप जाती है और सही बात कहने की उसमें हिम्मत नहीं रह जाती। अतः स्पष्ट है कि जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाती, वहाँ भला नैतिकता कैसे रह सकती है।

Scanned with CamScanner

(२) सुधारात्मक दंड का सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के अनुसार प्रतिबन्धात्मक दंड का सिद्धान्त एक सही सिद्धान्त नहीं हो सकता। इसी की प्रतिक्रिया के रूप में सुधारात्मक दंड का सिद्धान्त दुनिया के हर देशों में माने जाने लगा। इनका कहना है कि कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि बाद में चलकर वह कुछ कारणों से, एक भला इन्सान भी अपराधी बन जाता है। अपराधी होने के कई कारण हैं- सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, मानसिक कारण और शारीरिक कारण आदि। इसलिए अपराधी को समाप्त करने के बजाय क्यों नहीं हम उन कारणों को समाप्त करें- जिससे मनुष्य अपराधी न बने। सामाजिक उपेक्षा के कारण कुछ मनुष्य अपराधी बन जाता है। बदला लेने की भावना से कुछ मनुष्य अपराधी बन जाता है। आर्थिक विषमता से कुछ मनुष्य अपराधी बन जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री आदि का कहना है कि पहले हम उन कारणों को समाप्त करें, अपराधी को समाप्त नहीं किया जाय। इसलिए आजकल जेलों में पहले से काफी सुधार हुआ है। उनके रहने, खाने, चिकित्सा सभी में सुधार आया है। अपराधियों को बड़े-बड़े मेलों में स्वच्छन्द नागरिकों की तरह घुमाया जाता है। उनसे बाहर में श्रमदान लिया जाता है, जिसको श्रम का पैसा छूटने पर मिल जाता है। साल में एक महीना उन्हें छुट्टी दी जाती है, ये सब जेल में सुधार हुए हैं। बड़े-बड़े त्योहार के अवसर पर उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता। जेल में दस्तकारी के शिक्षण का प्रबंध है, छोटे-छोटे उम्र वाले अपराधियों के लिए सुधारात्मक विद्यालय बने हुए हैं, जहाँ से वे मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं। इस तरह जेल में रहकर भी एक अपराधी कई चीजें सीख लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जेलों में आजकल सुधार है। ऐसा इसलिए कि अपराधी में भी सुधार हो सके और अपराध की संख्या कम हो सके। पुराने वैदिककाल में जेल और कारागार नहीं थे, वहाँ क्षमादान और प्रायश्चित सबसे बड़ा सजा मानी जाती थी। अपराधी यह महसूस करता था कि मैं कितना नीच हूँ, जिसने यह अपराध किया है और क्षमा करने वाला व्यक्ति कितना महान है जिसने क्षमा कर दिया है। इस तरह अपराधी में पहले सुधार आ जाता था। उसी भावना से प्रेरित होकर आज सुधारात्मक दंड का सिद्धान्त अपनाया गया कि अपराधी यह महसूस कर सके कि मैं कितना नीच हूँ जिसने अपराधी को ... इतनी

Scanned with CamScanner

छूट दी और आज सरकार भी अपराधियों के लिए इतना प्रबंध कर रही है। यदि कुछ भी अपराधी इस भावना से प्रेरित होकर अपने को सुधार सके तो सुधारात्मक दंड का सिद्धान्त अपने को सफल सिद्धान्त मान लेता है।

आलोचनाएँ – 1. सुधारात्मक दंड के सिद्धान्त प्रतिबन्धात्मक दंड के सिद्धान्त के विपरीत है। यहाँ अपराधी व्यक्ति को देखा जाता, शासन व्यवस्था को नहीं। प्रतिबन्धात्मक दंड का सिद्धान्त शासन की व्यवस्था को देखता है, अपराधी व्यक्ति को नहीं।

2. आज सुधार के नाम पर सरकार ने जो इतनी छूट दे रखी है, जेलों में जो सुधार आया है, उसका परिणाम यह है कि आज अपराध और अपराधियों की संख्या में दस गुणा वृद्धि हो गयी है, क्योंकि आज अपराधी में डर नहीं है। प्रतिबन्धात्मक दंड के सिद्धान्त में डर था, अपराधी में सुधार की बात नहीं। लेकिन इस सिद्धान्त में न डर ही होता है और न सुधार ही होता। पहले वैदिककाल में क्षमादान और प्रायश्चित में जो शक्ति थी, वह न आज जेल के शिकंजों में है और न फांसी के तख्तों में। इसलिए आज शासन की व्यवस्था ढीली पड़ गयी है। इस तरह सुधारात्मक दंड का सिद्धान्त भी एक सफल सिद्धान्त नहीं बन सका।

(3) <u>प्रतिशोधात्मक या प्रतिकारवाद दंड का सिद्धान्त</u> – यह सिद्धान्त ऊपर के दोनों सिद्धान्तों के बीच का है। यह दोनों का समन्वय करता है। प्रतिशोध का अर्थ-बदला होता है, जिसके अनुसार "Eye for eye and tooth for tooth" की कहावत ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस अर्थ में प्रतिशोध का व्यवहार नहीं हुआ है। जब कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता है, तो उसे पारितोषिक दिया जाता है। पारितोषिक मिलना उसका अधिकार है। उसी तरह यदि कोई मनुष्य अपराध करता है, तो उसे भी इनाम मिलनी चाहिए- सजा के रूप में। अच्छे कर्म के लिए पारितोषिक देना यदि Positive reward है, तो अपराध के लिए भी दंड मिलना Negative reward है। यदि हम अपराध के अनुसार दंड नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे उसके अपराध से वंचित कर रहे हैं। अर्थात् हर अपराध के लिए दंड

मिलना आवश्यक है, लेकिन इस सिद्धान्त के अनुसार इसके समर्थकों का कहना है कि दंड ऐसा हो कि अपराधी समाप्त भी न हो जाय, बल्कि डर जाय और ऐसा भी न हो कि सुधार के नाम पर अपराधी को सरकारी मेहमान बना दिया जाय। जिससे उसमें डर जरा भी न रह जाय, बल्कि दंड तो ऐसा हो जिससे अपराधी डर भी जाय और उसमें सुधार भी हो जाय। इसलिए प्रतिशोध्य दंड के सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को अपराध के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। ऐसा न हो कि चाहे मामूली अपराध हो या घोर अपराध, सभी को कड़ी सजा दी जाय। दोनो तरह के अपराधी को नमूना बना दिया जाय- जैसा कि प्रतीकात्मक दंड के सिद्धान्त में चाहे छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी, दोनों को एक जैसा छूट मिलता है। प्रतिशोधा-त्मक दंड के सिद्धान्त का कहना है कि अपराध के अनुसार अपराधी को दंड दिया जाय और अपराध के अनुसार ही उन्हें सुधार के नाम पर छूट दी जाय, तभी अपराधी व्यक्ति में डर भी होगा और सुधार भी होगा। इसे एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है।

एक मनुष्य है, जो बदमाश है। वह जान बूझ कर एक दवा की दुकान से रुपया दुकानदार से छीन लेता है और कुछ कीमती दवा दुकान से उठा लेता है। एक दूसरा व्यक्ति जो गरीब है तथा अच्छे चरित्रवाला है। उसका एकमात्र बेटा बीमार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, जिससे वह सही इलाज करा सके। उसे कीमती दवा की जरुरत है। जिससे उसका एकलौता बेटा बच सके। वह व्यक्ति वैसी परिस्थिति में अपने पुत्र की जान के रक्षार्थ उस दवा की दुकान से दुकानदार की नजर बचाकर दवा चुरा लेजाता है। पकड़े जाने पर अपराधी करार कर दिया जाता है। दोनो तरह का व्यक्ति वास्तव में अपराधी है, पर परिस्थितियां भिन्न-भिन्न है और लक्ष्य भी भिन्न है। इसीलिए एक को काफी दिनों की सजा दी जाती है और दूसरे को कुछ दिनों के लिए सजा दिया जाता है।

इस तरह इस सिद्धान्त के लिए गंभीर अपराध के लिए गंभीर दंड और तुच्छ अपराध के लिए तुच्छ दंड दिया जाता है, जो एक आधुनिक आदर्श रखता है।

डॉ० रामनारायण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर
दर्शनशास्त्र विभाग, जे०आर०एस० कॉलेज, मुंगेर

Date 30.4.20

Scanned with CamScanner